संख्या-21/2019/250/सैंतीस-2-2019-1(3)/2014टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-07 मार्च, 2019

विषयः- **अनुदान संख्या-83 के अधीन डिजीज फ्री जोन की स्थापना (60 प्रति.के.पो.) (एफ.एम.डी.सी.पी.) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-496/सा0-1/एक्स-160/एफ.एम.डी.-सी.पी.(एस.सी.एस.पी.)/2018-19, दिनांक-25.01.2019 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-87/2018/2822/सैंतीस-2-2018-1(3)/2014टीसी, दिनांक-28.08.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-डिजीज फ्रीजोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.) के मानक मद 04, 15, 18, 19, 26, 29, 42 एवं 47 में सम्भावित बचतों से उक्त लेखाशीर्षक के ही मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0-467.727 लाख (रूपये चार करोड़ सड़सठ लाख बहत्तर हजार सात सौ मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित करते हुए मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में कुल रू0-531.667 लाख (रूपये पाँच करोड़ इकतीस लाख छाछठ हजार सात सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) बचतों के सही होने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है उस मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस मानक मद में धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है, उसमें यह संगत शासनादेश/प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(7) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेगे कि इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(8) एफ.एम.डी. टीकाकरण हेतु प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि का क्रय विद्यमान संगत शासनादेशों व निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(10) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-डिजीज फ्रीजोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-175/दस-2019, दिनांक-27.02.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-21/2019/250(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in